फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 202/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/209) **श्री दल्लासिंह खरवड़ बनाम तहसीलदार कुम्भलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री मुकेश तलेसरा, कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-तहसीलदार **अनवान** 1. श्री दल्लासिंह पुत्र श्री रतासिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 2. श्री रूपसिंह पुत्र श्री रतासिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 3. श्री केशरसिंह पुत्र श्री रतासिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 4. श्रीमती मन्नुबाई बेवा श्री रतासिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 5. श्री हजारीसिंह पुत्र दोलासिंह, निवासी जेलापट्टा कांकरवा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 6. वजकी पिता श्री मोतीसिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 7. जेतकी उर्फ ज्योति पिता श्री मोतीसिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 8. फेफली पिता श्री मोतीसिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। 9. रूपली पिता श्री मोतीसिंह खरवड़, निवासी चाम्बुआ सरजेला, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़, जिला राजसमंद। **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, बप्रकरण संख्या 37/2019 निर्णय दिनांक 15.03.2021 (अनवान दल्लासिंह बनाम राजस्थान राज्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 18.10.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, बप्रकरण संख्या 37/2019 निर्णय दिनांक 15.03.2021 (अनवान दल्लासिंह बनाम राजस्थान राज्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द समक्ष तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 29.05.1975 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनिय के पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चाम्बुआ सरचेला, पटवार क्षेत्र कांकरवा, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द में अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी मोती, स्वरूप, रता, हीरा पिता भीमा के नाम पर धारा-91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा की गई थी। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का पुराना कब्जा आधिपत्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 202/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/209) **श्री दल्लासिंह खरवड़ बनाम तहसीलदार कुम्भलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होने से उक्त भूमि का नियमन करने हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर आराजी संख्या 2/36 रकबा 7 बीघा 14 बिश्वा भूमि का नियमन करने हेतु दिनांक 31.12.1971 का उप जिलाधीश, राजसमंद के यहां प्रेषित की गई। उक्त नियमन की सिफारिश पर नियमन कमेटी पदेन अध्यक्ष, उप जिलाधीश राजसमंद द्वारा खसरा संख्या 2/36 रकबा 07 बीधा 14 बिस्वा भूमि जरिये मिसल संख्या 527/71 दिनांक 29.05.1972 को अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम पर नियमन करने के आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन आराजी संख्या 2/36 के स्थान पर 1900 मीन भरकर फैसल करने हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ़ समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा नामानतरकरण संख्या 239 स्वीकृत कर दिया, जिसको चुनौती दी गई है और जिसे निरस्त करते हुए आराजी संख्या 2/36 का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत कराया जावें।

- न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 15.03.2021 को पारित किया।

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 15.03.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 11.10.2023 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम चाम्बुआ सरचेला, पटवार क्षेत्र कांकरवा, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द में अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का कब्जा आधिपत्य होने से अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी मोती, स्वरूप, रता, हीरा पिता भीमा के नाम पर धारा-91 भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा की गई थी। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी का पुराना कब्जा आधिपत्य होने से उक्त भूमि का नियमन करने हेतु तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज कर आराजी संख्या 2/36 रकबा 7 बीघा 14 बिश्वा भूमि का नियमन करने हेतु दिनांक 31.12.1971 का उप जिलाधीश, राजसमंद के यहां प्रेषित की गई। उक्त नियमन की सिफारिश पर नियमन कमेटी पदेन अध्यक्ष, उप जिलाधीश राजसमंद द्वारा खसरा संख्या 2/36 रकबा 07 बीधा 14 बिस्वा भूमि जरिये मिसल संख्या 527/71 दिनांक 29.05.1972 को अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम पर नियमन करने के आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा म्यूटेशन आराजी संख्या 2/36 के स्थान पर 1900 मीन भरकर फैसल करने हेतु तहसीलदार, कुम्भलगढ़ समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा नामानतरकरण संख्या 239 स्वीकृत कर दिया, जिसको अधीनस्थ न्यायालय समक्ष चुनौती देकर उक्त नामानतरकरण को निरस्त करते हुए आराजी संख्या 2/36 का नामान्तरकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 202/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/209) **श्री दल्लासिंह खरवड़ बनाम तहसीलदार कुम्भलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत कराये जाने का अनुरोध किया, जिसे अपीलाधीन निर्णय से खारिज किया गया। उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा पर्याप्त साक्ष्य स्वरूप आवंटन संबंधी आदेश, जांच रिपोर्ट, नियमन पत्रावली एवं धारा-91 के नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थीगण को उक्त आराजी संख्या 2/36 आवंटित की गई। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कुम्भलगढ़ से भी रिपोर्ट तलब की गई जिसमें यह स्पष्ट करा गया कि आवंटन पत्र में आराजी संख्या 2/36 को काटकर बिना सक्षम आदेश के 1900 मीन करा गया है और जिससे त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकरण में आवंटन उपरान्त आवंटन आदेशों मे काटछाट की गई, जबकि नियमन की पत्रावली 2/36 के लिये ही चलाई गई थी जो साक्ष्यों से परिलक्षित होती है। उक्त काटछाट पर किसी भी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी को उनके कब्जेशुदा भूमि 2/36 ही नियमित की गई और वह आज भी उसी भूमि पर काबिज है। यह सभी तथ्य जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष भी प्रस्तुत की गई, जिसको उनके द्वारा नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया जिसे निरस्त फरमाया जावें। उक्त आदेश उपरान्त लॉकडाउन लगने से हस्तगत अपील ससमय प्रस्तुत नहीं की जा सकी, मयाद उपशमित करने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है। अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाने, नामान्तरकरण संख्या 239 निरस्त फरमाया जाकर आवंटित/नियमन के आदेश में वर्णित आराजी संख्या 2/36 रकबा 47 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वासी में से 7 बीघा 14 बिश्वा भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रत्यर्थी तहसीलदार कुम्भलगढ़ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2021 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा कोविड महामारी आरम्भ होने एवं कोविड काल के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मयाद उपशमन किये जाने के आदेशो का हवाला दिया। प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त होने से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2022 के आदेश से दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक मयाद उपशमन के निर्देशों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलीय कार्यवाही के दौरान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 202/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/209) **श्री दल्लासिंह खरवड़ बनाम तहसीलदार कुम्भलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलार्थी द्वारा आराजी संख्या 2/36 के नियमन संबंधी पत्रावली की प्रति प्रस्तुत की गई। उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहसीलदार कुम्भलगढ़ द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री मोती, सरूप, हीरा द्वारा आराजी संख्या 2/36 पर 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उनको धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के नोटिस दिनांक 16.08.1971 को नोटिस जारी किये गये, जिसके प्रकरण संख्या 527/71 हुए। उक्त प्रकरण में अतिक्रमियों का कब्जा नियमन योग्य होने कब्जाधारी द्वारा तहसीलदार कुम्भलगढ़ समक्ष नियमन हेतु आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा नियमन पत्रावली संधारित की गई जिसमें तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा दिनांक 31.12.1971 को कार्यालय टिप्पणी में अंकित किया कि-

> ''मिसल आज मुकाम चाम्बुआ पेश की हुई अतिक्रमी सरूप उपस्थित है, जिसका बयान लिया और अतिक्रमी ने शहादत में दो गवाह श्री भीमा भेरा के बयान लिये गये। अतिक्रमी ने शहादत बन्द की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भूमि जैर बहस का कब्जा रेकर्ड में पी.14 में 2026 में अंकित है, पटवारी की रिपोर्ट से एवं अतिक्रमी के जवाब में भी कब्जा जनवरी 71 से पूर्व का स्पष्ट है। पटवारी ने रिपोर्ट समय पर पेश नहीं की है परन्तु रेकर्ड से कब्जा 2026 से जाहिर है और इनके पास हिस्से से निर्धारित सीमा से अधिक भूमि भी नहीं है जिससे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(20)राज/ख/71 दिनांक 13.04.71 के अन्तर्गत ख.न. 2/36 रकबा 7.14 बीघा विनियमन से जाना उचित है। मिसल वास्ते विनियमन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान उप जिलाधीश महोदय राजसमन्द की सेवा में पेश है। मिसल शुमार फैसल हो।''

उपरोक्त टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा अतिक्रमी पूर्वाधिकारी के खसरा नम्बर 2/36 पर अतिक्रमण को नियमित करने बाबत पत्रावली उप जिलाधीश राजसमन्द को प्रेषित की गई। उक्त पत्रावली पर कार्यवाही करते हुए उप जिलाधीश/सब डिविजनल ऑफिसर, राजसमंद द्वारा दिनांक 29.05.1972 को अतिक्रमी मोती, सरूप, हीरा को खसरा नम्बर 2/36 रकबा 7 बीघा 14 बीघा को उनके नाम नियमित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश में 2/36 को काटकर 1900/7 अंकित किया गया है, जिस पर कांटछांट किये जाने पर हस्ताक्षर नहीं किये गये है। यह कांटछांट स्पष्टतया आराजी संख्या 2/36 के नियमित किये जाने के आदेश पारित किये जाने उपरान्त किसी अन्य द्वारा किया जाना परिलक्षित होता है क्योंकि नियमन पत्रावली में समस्त प्रक्रिया आराजी संख्या 2/36 के संबंधित की गई और आदेश में भी 2/36 अंकित है, जिसका रकबा भी 7.14 बीघा अंकित है और आदेश पर नियमन पत्रावली संख्या 527/71 अंकित किया गया है। उक्त अंकन से यह तो स्पष्ट है कि उक्त आदेश नियमन पत्रावली के आधार पर आराजी संख्या 2/36 के संबंध में ही पारित किया गया है, जिस व्यक्ति विशेष द्वारा किसी दुर्भावना के चलते आदेश पारित होने के उपरान्त बिना सक्षम आदेश के कांटछांट की गई, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा कांटछांट हेतु कोई हस्ताक्षर भी अंकित नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश नियमन पत्रावली संख्या 527/71 के आधार पर आराजी संख्या 2/36 में से 7.14 बीघा भूमि के संबंध में ही पारित किया गया है और तदुपरान्त नामान्तरकरण भी आराजी संख्या 2/36 रकबा 7.14 बीघा का ही अतिक्रमी में हक में पारित किया जाना था परन्तु इसके विपरित सक्षम आदेश के विपरित की गई कांटछांट के आधार पर अतिक्रमित भूमि के

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 202/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/209) **श्री दल्लासिंह खरवड़ बनाम तहसीलदार कुम्भलगढ़**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बजाय अन्य भूमि 1900/7 का नामान्तरकरण अतिक्रमियों पर नियमन होने से स्वीकृत कर दिया गया। लेख है कि दिनांक 19.02.2020 में तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष इसी आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर आदेश व नामान्तरकरण में की गई काटछांट का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वस्तुस्थिति पर मनन नहीं किया गया, जिससे उनका आदेश तथ्यात्मक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का प्रश्न है, प्रावधित है कि विधि विरूद्ध पारित आदेश पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है और ऐसे प्रकरणों में न्यायालय का उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने बाबत विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपना मत व्यक्त किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 29.05.1975 एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि से ग्रसित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।** आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 29.05.1975 एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.03.2021 अपास्त किया जाता है। नियमन पत्रावली संख्या 527/71 अनुसार अतिक्रमित भूमि आराजी संख्या 2/36 में से 7 बीघा 14 बिस्वा का नामान्तरकरण अतिक्रमी श्री मोती, सरूप, हीरा के वारिसान-अपीलार्थीगण के नाम पर स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	